

## v/; k; & 1 jkT; l jdkj ds foRr

### mRrj i n\$ k jkT; dk ifjn';

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं 2.41 लाख वर्ग कि०मी० के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ यह भारत का पांचवां बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015 में 21.33 करोड़ हो गई (अनुमानित)। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में अखिल भारतीय औसत 30 प्रतिशत के सापेक्ष लगभग 39.80 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 9,76,297 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.68 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2014-15 के अंत में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 45,777 थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य आँकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा आदि *ifj'k"V 1-1* में दिये गये हैं।

### l dy jkT; ?kjsy mRi kn

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अंतिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004-05) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों *l kj.kh 1-1* में दी गयी है।

*l kj.kh 1-1% or\$ku eW; %k/kkj o"z 2004&05% ij n\$ k ds l dy ?kjsy mRi kn , oa jkT; dk l dy jkT; ?kjsy mRi kn*

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.66	15.77	11.88	11.54	9.90
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय)

*l kj.kh* से प्रदर्शित है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010-15 की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई है। यद्यपि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दोलायमान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

### 1.1 i lRkouk

राज्य सरकार ने 20 जून 2014 को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए

₹ 20,957 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 41,538 करोड़; अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹ 49,108 करोड़; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, विकलांगों, अल्पसंख्यकों एवं सामान्य श्रेणी के गरीबों के कल्याण हेतु ₹ 25,522 करोड़; कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 7,625 करोड़; चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 14,377 करोड़ तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2013-14 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना *ifjfkV 1-2 ds Hkkx&v* और वित्त लेखे का प्रारूप *Hkkx&C* में दर्शाया गया है।

### 1.1.1 o"kZ 2014&15 ea jkt dks'kh; yu&nuka dk I kjkd k

I kj.kh 1-2 में राज्य सरकार के वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित है। *ifjfkV 1-3* में वर्ष 2014-15 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति प्रदर्शित है।

I kj.kh 1-2% o"kZ 2014&15 ea jkt dks'kh; yu&nuka dk I kjkd k

(₹ करोड़ में)

ckflr; k;			I forj .k				
	2013-14	2014-15		2013-14	2014-15		
Hkkx&v: jktLo				vk; kst uRrj	vk; kst uxr	; ksx	
jktLo i kflr; k;	1,68,213.75	1,93,421.60	jktLo 0; ;	1,58,146.87	1,37,764.87	33,262.45	1,71,027.32
कर राजस्व	66,582.08	74,172.42	सामान्य सेवायें	61,983.49	64,266.13	39.60	64,305.73
करेतर राजस्व	16,449.80	19,934.80	सामाजिक सेवायें	60,756.28	34,032.41	26,873.37	60,905.78
संघीय करों/ शुल्कों का अंश	62,776.70	66,622.91	आर्थिक सेवायें	25,710.72	28,535.76	6,349.48	34,885.24
भारत सरकार से अनुदान	22,405.17	32,691.47	सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,696.38	10,930.57	शून्य	10,930.57
Hkkx&c: i wthxr , Oa vU;							
fofo/k i wthxr i kflr; k;	-	-	i wthxr 0; ;	32,862.65	8,880.85	44,416.43	53,297.28
_.k , Oa vfxeka dh ol nyh	589.57	262.48	I forj r _ .k , Oa vfxe	1,473.34	1,071.87	800.77	1,872.64
ykcd _ .k i kflr; k;	14,900.45	35,520.28	ykcd _ .kka dh vnk; xh	8,166.74	9,411.21	-	9,411.21
vkdfLedrk fuf/k	262.32	0.55	vkdfLedrk fuf/k	86.55	203.15	-	203.15
ykcd ys[kk i kflr; k;	2,26,077.56	2,30,199.19	ykcd ys[kk I forj .k	2,20,459.29	2,28,014.45	-	2,28,014.45
i kj fEHkd j kcdM+ vo' ks'k	15,172.42	4,020.63	vfire j kcdM+ vo' ks'k	4,020.63	(-) 401.32	-	(-) 401.32
; ksx	4,25,216.07	4,63,424.73	; ksx	4,25,216.07	3,84,945.08	78,479.65	4,63,424.73

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15)

वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **jktLo ikflr; ka** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; छः प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,26,419 करोड़ के बजट अनुमान<sup>1</sup> से कम (₹ 32,997 करोड़) थी।
- **dj jktLo** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 7,590 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 3,289 करोड़; आठ प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹ 1,839 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 2,282 करोड़; 24 प्रतिशत) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ₹ 74,172 करोड़ स्वयं के कर राजस्व बजट अनुमान के ₹ 81,000 करोड़ के लक्ष्य से कम था। यद्यपि, यह तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 59,619 करोड़) से अधिक था।
- **djrj jktLo** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 3,485 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह बजट अनुमान से ₹ 20,232 करोड़ कम था। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकीय अनुमान के आकलन (₹ 12,115 करोड़) से अधिक था।
- **Hkkjr ljdkj l s l gk; rk vuqku** में वर्ष 2013-14 (₹ 22,405 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014-15 (₹ 32,691 करोड़) में ₹ 10,286 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- **dlnh; djka vkj 'kYdka ea jkT; ds vk** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 3,846 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 66,623 करोड़) बजट अनुमान (₹ 76,502 करोड़) से कम (₹ 9,879 करोड़) थी।
- **jktLo 0; ;** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 12,880 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 1,71,027 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,97,425 करोड़) से कम (₹ 26,398 करोड़) था।
- **jktLo 0; ;** के अन्तर्गत आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 11,275 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,605 करोड़ (पाँच प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 88,219 करोड़) से बहुत अधिक (56 प्रतिशत) था।
- **iwthxr 0; ;** (₹ 53,297 करोड़) में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़कें एवं सेतु, ऊर्जा परियोजनाएं, वृहद सिंचाई एवं ग्रामीण विकास में हुई। यह बजट अनुमान (₹ 55,986 करोड़) से कम (₹ 2,689 करोड़) था।

<sup>1</sup>मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति, 2014 को प्रस्तुत करता है।

- **वित्त** (₹ 262 करोड़) में वर्ष 2013-14 (₹ 589 करोड़) के सापेक्ष ₹ 327 करोड़ (55 प्रतिशत) की कमी हुई परंतु यह बजट अनुमान (₹ 491 करोड़) से कम (₹ 229 करोड़; 47 प्रतिशत) थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 1,873 करोड़) भी बजट अनुमान (₹ 1,910 करोड़) से दो प्रतिशत कम था।
- **राजस्व** (₹ 35,520 करोड़) में वर्ष 2013-14 (₹ 14,900 करोड़) के सापेक्ष ₹ 20,620 करोड़ (138 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 9,500 करोड़), अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 5,270 करोड़), एन.एस.एस.एफ को प्रदत्त विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 3,618 करोड़), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,724 करोड़) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण (₹ 405 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- **वित्त** (₹ 2,30,199 करोड़) में वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 (₹ 2,26,078 करोड़) के सापेक्ष ₹ 4,121 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः प्रेषण के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 27,698 करोड़) में ₹ 4,178 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं वर्ष 2013-14 (₹ 1,62,145 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में उचंत एवं विविध शीर्षों के प्राप्तियों (₹ 1,66,336 करोड़) में ₹ 4,191 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- **वित्त** में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 7,555 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।
- वर्ष 2014-15 में **वित्त** से ₹ 203 करोड़ के आहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।
- **वित्त** में मार्च 2014 के ₹ 4,021 करोड़ के क्रेडिट अवशेष से मार्च 2015 तक ₹ 401 करोड़ (डेबिट), कुल ₹ 4,442 करोड़ (110 प्रतिशत) की कमी हुयी।
- 2014-15 के अंत में **वित्त**; **वित्त** एवं **वित्त** में 2013-14 के सापेक्ष वृद्धि हुई। 2014-15 के अंत में राजस्व आधिक्य ₹ 12,327 करोड़ (122 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 22,394 करोड़, राजकोषीय घाटा ₹ 8,833 करोड़ (37 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 32,513 करोड़ एवं प्राथमिक घाटा ₹ 7,380 करोड़ (118 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 13,648 करोड़ हो गयी। विस्तृत विवरण **वित्त** 1-11-1 में दिया गया है।

### 1.1.2 **वित्त**; **वित्त** **वित्त**

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 पारित हुआ (फरवरी 2004), जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विधान सभा में रखे, जिसमें निर्धारित राजकोषीय संकेतकों को पाँच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये जायें। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।
- राजकोषीय घाटे को आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।
- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।
- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या प्राकृतिक आपदाओं से उपजी अदृष्ट मांगों को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान किया गया आधिक्य वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011-15 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं धीरे-धीरे वर्ष 2014-15 तक राजकोषीय एवं ऋण के स्तरों में कमी लाना था। I kj.kh 1-3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

I kj.kh 1-3% jkt dks'kh; I q'<hdj.k i Fk

o"z	jkt dks'kh; ?kkVk	dy ns rk %th, I -Mh-i h- ds ifr'kr e%
2011-12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	46.90
2012-13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	45.10
2013-14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	43.40
2014-15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	41.90

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, सितम्बर 2011)

वर्ष 2014-15 में राज्य का निष्पादन, बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारकों के अधीन, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे I kj.kh 1-4 में दर्शाया गया है।

## I kj.kh 1-4% o"kh 2014&15 ea jkT; dk fu"iknu

ef; jkt dks'kh; lard	rjgos forr vk; ks }jkj fu/kkfr y{;	jkt dks'kh; mRrjnkf; Ro , oa ctV izlU/ku vf/kfu; e }jkj fu/kkfr y{; @i dksi	ctV vuqku ea fu/kkfr y{;	ipo"kh; vittiY ; kstuk ea i dksi @, e-Vh- , Q-i-h-	okLrfod vkdM;
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	(+28,994)	(+28,994)	(+22,394)
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात् ₹(-)29,289 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात् ₹(-)29,289 करोड़	2.97 प्रतिशत	2.97 प्रतिशत	3.33 प्रतिशत
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत (₹ 4,09,068 करोड़)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत (₹ 4,09,068 करोड़)	27.80 प्रतिशत	27.80 प्रतिशत	31.53 प्रतिशत

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2011)

I kj.kh से यह प्रदर्शित है कि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2013-14 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, कुल बकाया ऋण वर्ष 2014-15 के अंत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.53 प्रतिशत था जो बजट अनुमान के लक्ष्य (27.80 प्रतिशत) से अधिक (3.73 प्रतिशत) था लेकिन तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य (41.90 प्रतिशत) की तुलना में कम (10.37 प्रतिशत) था।

### 1.1.3 ctV vuqku , oa okLrfod vkdM;

#### ctV vuqku


प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 76,502 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 75,479 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 14,210 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 74,325 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 4,278 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति के अंतर्गत राजस्व आधिक्य (₹ 28,994 करोड़), राजकोषीय घाटे (₹ 28,411 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹ 9,526 करोड़) का आकलन किया *ki fjfsh"V 1-4h*।

#### ctV vuqku ds I ki dks okLrfod vkdM;

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो

ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2014-15 में बजट अनुमान के चुने हुये राजकोषीय प्राचलों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े pkv 1-1 और ifj'k"V 1-4 में दिए गये हैं।



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

उपरोक्त pkv से यह देखा जा सकता है कि:

- okLrfod jktLo ikflr;kj (₹ 1,93,422 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,26,419 करोड़) से ₹ 32,997 करोड़ कम थी। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत Lo; a ds dj jktLo के संग्रह में ₹ 6,828 करोड़ की कमी हुई जबकि djrj jktLo बजट अनुमान से ₹ 297 करोड़ कम था। Lo; a ds dj jktLo में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,566 करोड़), साथ ही साथ स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 920 करोड़) एवं वाहन कर (₹ 153 करोड़) में कमी के कारण हुई। djrj jktLo (₹ 297 करोड़) में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 1,603 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 1,798 करोड़) के कारण हुई।

- jktLo 0; ; (₹ 1,71,027 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,97,425 करोड़) से कम (₹ 26,398 करोड़) था। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में पाई गई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 14,573 करोड़, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 10,019 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,697 करोड़ की कमी हुई। I kekftd I okvka के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 5,855 करोड़), साथ ही साथ सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,662 करोड़) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 2,522 करोड़) में हुई। I kekj; I okvka के अंतर्गत कमी मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं (₹ 2,543 करोड़), पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं (₹ 3,502 करोड़) एवं ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (₹ 3,220 करोड़) में हुई। vkffkd I okvka के

अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 2,081 करोड़), साथ ही साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,129 करोड़) तथा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 460 करोड़) के कारण हुई कमी ऊर्जा मद के अंतर्गत अधिक व्यय (₹ 1,936 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- **कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 18,865 करोड़)** पर हुआ व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान (₹ 18,885 करोड़) से ₹ 20 करोड़ कम था।
- **पूँजीगत व्यय (₹ 2,689 करोड़)** बजट अनुमान के सापेक्ष ₹ 2,689 करोड़ कम था। पूँजीगत व्यय में कमी सामाजिक सेवाओं (₹ 1,455 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 965 करोड़) एवं सामान्य सेवाओं (₹ 269 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- **बजट अनुमान (₹ 28,994 करोड़) से कम (₹ 6,600 करोड़) था तथा जितना बजट अनुमान (₹ 28,411 करोड़) के सापेक्ष वृद्धि (₹ 4,102 करोड़) हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान (₹ 9,526 करोड़) से ₹ 4,122 करोड़ (43 प्रतिशत) अधिक था।**

प्राप्तियों एवं व्ययों का स्वरूप, वर्ष 2014-15 में तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को प्रदर्शित करता है।

### 1.1.4 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 17 प्रतिशत (वर्ष 2013-14 की तुलना में) वृद्धि की घोषणा की।

वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि को 1-5 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि को 1-5 में दर्शाया गया है।

1-5 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 17 प्रतिशत (वर्ष 2013-14 की तुलना में) वृद्धि की घोषणा की।

वर्ष	वृद्धि (₹ करोड़ में)	वृद्धि (प्रतिशत में)
वर्ष 2013-14 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	66,582	
वर्ष 2014-15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	74,172	
वर्ष 2014-15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	7,590	
वर्ष 2014-15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (प्रतिशत में)	11.40	

यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि की बजट भाषण में की गई घोषणा के सापेक्ष 11.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## 1.2 राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से

### 1.2.1 पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से



राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से



ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।


I kj.kh 1-2 राज्य सरकार के वर्ष 2014-15 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। pkVl 1-2 कुल प्राप्तियों का संघटन, pkVl 1-3 वर्ष 2010-15 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा pkVl 1-4 वर्ष 2014-15 में संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

pkVl 1-2% o"l 2014&15 ds nkjku dny i kflr; ka ds I kVU



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त पकV से यह दर्शित होता है कि वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,31,390 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ: ₹ 1,93,422 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँ: ₹ 35,782 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ: ₹ एक करोड़ और लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,185 करोड़ (निवल)<sup>2</sup> थी। पुनः, कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 1,43,239 करोड़ के स्तर से ₹ 88,151 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2,31,390 करोड़ हो गई।



पकV 1-4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 84 प्रतिशत, लोक लेखे प्राप्तियाँ एक प्रतिशत एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत थीं।

### 1.2.2 Hkkjr ljdkj }kjk jkT; fØ; kUo; u vfHkdj.kka dks gLrkUrjfr /kujkf'k; k;


31 मार्च 2014 तक] विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी/गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियों का अन्तरण किया था। महालेखा नियन्त्रक के पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाईनेन्सियल मैनेजमेण्ट सिस्टम) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने कोई भी राशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसीज को अन्तरित नहीं किया है। भारत सरकार के निर्णय कि राज्य सरकार को सीधे केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना/अन्य केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए सभी सहायता सीधे राज्य सरकारों को निर्गत किया जायेगा, न कि क्रियान्वयन एजेन्सी को, के कारण क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रत्यक्ष अन्तरण पिछले वर्ष की तुलना में शत प्रतिशत कम हुआ है।

### 1.3 jktLo çkflr; k;

वित्त लेखे के 00j.k 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन ifjf'k"V 1-5 में


<sup>2</sup>लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,30,199 करोड़, (-) लोक लेखे संवितरण: ₹ 2,28,014 करोड़

प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः pkV 1-5 एवं 1-6 में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkV 1-5 यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,93,422 करोड़) में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-15 के दौरान यह ₹ 1,11,184 करोड़ से समान रूप से बढ़कर ₹ 1,93,422 करोड़ हो गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkV 1-6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,93,422 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 94,107 करोड़ स्वयं के स्रोतों, स्वयं के कर राजस्व (₹ 74,172 करोड़) एवं करेतर राजस्व (₹ 19,935 करोड़), से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 99,315 करोड़ भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 66,623 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 32,692 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,208 करोड़; 15 प्रतिशत) में वृद्धि का मुख्य कारण, अधिक सहायता अनुदान के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक करों का संग्रहण, देशी मदिरा, बीयर, विदेशी मदिरा एवं स्पिरिट, राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत करों के अधिक संग्रहण, वानिकी एवं वन्य जीवन के अन्तर्गत प्राप्तियों का अधिक संग्रहण तथा विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण था। तकनीकी शिक्षा, शिक्षण एवं अन्य शुल्क तथा कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत कम प्राप्ति, भू-राजस्व एवं परती भूमि के बिक्री आगम से कम प्राप्ति तथा भूमिकर का उन्मोचन, सिंचाई उद्देश्यों हेतु जल की बिक्री से कम प्राप्ति, व्यवसायिक उपक्रम के नियमन से कम प्राप्ति एवं पर्यटन से कम प्राप्तियों के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी भी हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ I kj.kh 1-6 में प्रस्तुत की गई है।

### I kj.kh 1-6% I dy jkT; ?kj syw mRi kn ds I ki \$k jktLo çkflr; ka dh çofÜk

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jktLo çkflr; k; ₹ djkm+e%	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.31	17.70	11.49	15.29	14.99
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.89	19.03	18.96	18.89	19.81
mRlykourk vuq kr <sup>3</sup>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.774	1.048	0.964	0.976	1.552
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	1.079	1.657	0.880	0.932	1.180
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.717	0.633	1.100	1.047	1.315
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से प्रदर्शित है कि:

- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में 0.576 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 और वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समानता थी। यद्यपि, वर्ष 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान प्राप्तियों में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।

<sup>3</sup> उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.7 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

- राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 0.932 (2013-14) से बढ़कर 1.180 (2014-15) हो गयी। वर्ष 2010-15 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर का अनुपात सकल राज्य के घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 0.880 और 1.657 के मध्य रही।

### 1.3.1 jkT; ds Lo; a ds Lkd k/ku

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रहण में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2010-15 की अवधि में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह *ifff'k"V 1-6* में दिया गया है। यह वर्ष 2010-11 के ₹ 52,286 करोड़ से बढ़कर (80 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 94,107 करोड़ हो गया।

l kj.kh 1-7 में वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की तुलना तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आकलन एवं राज्य सरकार के बजट अनुमानों से की गयी है।

l kj.kh 1-7% rjgoa foRr vk; ksx }kjk fu/kkkr vkj ctV  
vuøku ds l ki \$k o"l 2014&15 ds okLrfod dj , oa djsrj i kflr; k;

₹ करोड़ में)

fooj.k	तेरहवें वित्त आयोग का vkdyu	ctV vuøku	okLrfod vkdM\$
स्वयं का कर राजस्व	59,618.65	81,000.00	74,172.42
करेतर राजस्व	12,115.47	20,231.95	19,934.80
; ksx	<b>71,734.12</b>	<b>1,01,231.95</b>	<b>94,107.22</b>

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान (₹ 59,619 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 14,554 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में ₹ 6,828 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त अयोग के मानकीय अनुमान (₹ 12,115 करोड़) की तुलना में ₹ 7,819 करोड़ (65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में ₹ 297 करोड़ (एक प्रतिशत) की कमी हुई।

#### 1.3.1.1 dj jktLo


कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि आते हैं। वर्ष 2010-15 की अवधि के कर राजस्व के घटक l kj.kh 1-8 , oa pkVl 1-7 में दिये गये हैं।

## 1.3.1.1: राजस्व के स्रोत

(₹ करोड़ में)

स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	वर्ष 2013-14 के वर्ष 2014-15 के (+)/(-) परिवर्तन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	24,837	33,107	34,870	39,645	42,934	8
राज्य आबकारी	6,723	8,139	9,782	11,644	13,483	16
वाहनों पर कर	1,817	2,376	2,993	3,441	3,797	10
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	5,975	7,694	8,742	9,521	11,803	24
भू-राजस्व	1,134	491	805	772	527	(-)32
सामान एवं यात्रियों पर कर	242	5	1	1	1	0
अन्य कर	382	801	905	1,558	1,627	4
<b>कुल</b>	<b>41,110</b>	<b>52,613</b>	<b>58,098</b>	<b>66,582</b>	<b>74,172</b>	<b>11</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान कर राजस्व में ₹ 7,590 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन कर तथा स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी में वृद्धि देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा स्पीरिट पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, भू-राजस्व के अंतर्गत कर संग्रहण में तीक्ष्ण कमी आई जो भू-राजस्व एवं बंजर भूमि के विक्रय से आय एवं भूमिकर के उन्मोचन से कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 1.3.1.2 राजस्व के उपयोग

करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान करेतर राजस्व की प्राप्तियाँ I kj.kh 1-9 में दी गयी है।

### I kj.kh 1-9: djsrj jktLo

(₹ करोड़ में)

jktLo 'kh"KZ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	o"KZ 2013&14 ds I ki fK o"KZ 2014&15 ea of) (+)/deh (-) dh i fr'krk
ब्याज प्राप्तियाँ	689	789	1,186	1,619	2,303	42
लाभांश एवं लाभ	27	38	63	5	8	60
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	10,460	9,318	11,721	14,826	17,624	19
; kx	<b>11,176</b>	<b>10,145</b>	<b>12,970</b>	<b>16,450</b>	<b>19,935</b>	<b>21</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh यह इंगित करती है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 21 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,485 करोड़) हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं, एवं अन्य करेतर राजस्व के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,798 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लोक सेवा आयोग एवं विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत हुई।

### 1.3.2 Hkkjr I jdkj I siklr I gk; rk vupku

राज्य सरकार भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2010-15 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि I kj.kh 1-10 में दी गई है।

### I kj.kh 1-10 Hkkjr I jdkj I siklr I gk; rk vupku

(₹ करोड़ में)

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,772.07	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	435.16	212.45	12.31	225.90	17.37
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	5,133.43	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20
<b>dy vupku</b>	<b>15,433.65</b>	<b>17,760.02</b>	<b>17,337.79</b>	<b>22,405.17</b>	<b>32,691.47</b>
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-) 9.96	15.07	(-) 2.38	29.00	45.91
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.88	13.57	11.88	13.32	16.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 10,286 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013-14 के ₹ 22,405 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 32,691 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की तुलना में

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में वृद्धि (₹ 11,640 करोड़) हुई तथा मुख्य कमी आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 1,125 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 209 करोड़) में हुई।

### 1.3.3 dlnh; dj gLrkj.k


भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2010-15 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ I kj.kh 1-11 एवं pkV 1-8 में दी गई है।

I kj.kh% 1-11 dlnh; dj gLrkj.k dh iDfRr; k

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
clj dlnh; dj gLrkj.k	43,464	50,351	57,498	62,777	66,623
सेवा कर	4,309	6,010	8,396	10,227	9,822
निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर	8,927	10,067	12,365	13,902	16,614
संघीय उत्पाद शुल्क	5,498	5,649	6,493	7,234	6,084
निगम कर	16,893	19,819	20,654	21,113	23,265
सम्पत्ति पर कर	35	76	35	58	63
सीमा कर	7,557	8,730	9,555	10,243	10,775

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 3,846 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो ₹ 62,777 करोड़ (वर्ष 2013-14) से बढ़कर ₹ 66,623 करोड़ (वर्ष 2014-15) हो गई। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान वृद्धि मुख्यतः निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹ 2,712 करोड़ (20 प्रतिशत) और निगम कर में ₹ 2,152 करोड़ (10 प्रतिशत) की हुई।

### 1.3.4 I xg dh ykx

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सकल संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रह से प्रतिशतता I kj.kh 1-12 में दी गई है।



I kj.kh 1-12: I xg dh ykxr

fooj.k	I dy I xg	I xg ij 0;	I xg ij fd; s x; s 0; ; dh I dy I xg ds I kfk i fr'krk	foxr o"kl ea vf[ky Hkkjrh; Lrj ij vks r
	₹ करोड़ में)			
वाणिज्य कर	43,127	492	1.14	0.88
राज्य आबकारी	13,479	135	1.00	1.81
वाहनों, सामान एवं यात्रियों पर कर	3,797	124	3.26	6.25
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	11,858	232	1.95	3.37

(स्रोत: संबंधित विभाग)

Lkkj.kh से यह स्पष्ट है कि 2014-15 के दौरान राज्य आबकारी, वाहनों, सामान एवं यात्रियों पर कर एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क पर कर संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था जबकि वाणिज्य कर के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। राज्य सरकार को कारणों का विश्लेषण करना चाहिये।

1.3.5 rj goa foRr vk; ksx dh vuq ka kvka ds v/khu i klr vuqku

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार हेतु अनुदानों की अनुशंसाएं की थीं। I kj.kh 1-13 में चयनित अनुदानों की वित्तीय स्थिति एवं उनमें आयी कमी दी गयी है।

I kj.kh 1-13% rj goa foRRk vk; ksx }kj k fn; s x; s vuqkuka dh foRrh; fLFkfr

(₹ करोड़ में)

vuqkuka dh I q; k , oa uke	fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	; ksx
13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	बजटीय धनराशि	शून्य	50.00	47.56	50.00	50.00	<b>197.56</b>
	व्यय	शून्य	15.64	47.39	35.18	45.55	<b>147.76</b>
	बचत	शून्य	34.36	0.17	14.82	0.45	<b>49.80</b>
37- नगर विकास विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	459.10	796.66	1,301.26	494.65	<b>3,051.67</b>
	व्यय	शून्य	168.82	795.92	1,099.33	494.65	<b>2,558.72</b>
	बचत	शून्य	290.28	0.74	201.93	0	<b>492.95</b>
40- नियोजन विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	5.27	15.45	<b>20.72</b>
	व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	5.25	15.43	<b>20.68</b>
	बचत	शून्य	शून्य	शून्य	0.02	0.02	<b>0.04</b>
42- न्याय विभाग	बजटीय धनराशि	39.41	12.21	149.39	43.07	136.15	<b>380.23</b>
	व्यय	37.71	12.03	32.50	15.53	38.24	<b>136.01</b>
	बचत	1.70	0.18	116.89	27.54	97.91	<b>244.22</b>
92- संस्कृति विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	25.00	29.49	25.87	28.41	<b>108.70</b>
	व्यय	शून्य	25.00	29.44	0.84	28.41	<b>83.69</b>
	बचत	शून्य	शून्य	0.05	25.03	शून्य	<b>25.08</b>
94- सिंचाई विभाग (निर्माण)	बजटीय धनराशि	शून्य	341.00	309.15	751.07	शून्य	<b>1,401.22</b>
	व्यय	शून्य	14.76	254.03	69.13	शून्य	<b>337.92</b>
	बचत	शून्य	326.24	55.12	681.94	शून्य	<b>1,063.30</b>
egk; ksx	ctVh; /kujkf'k	<b>39.41</b>	<b>887.31</b>	<b>1,332.25</b>	<b>2,176.54</b>	<b>724.66</b>	<b>5,160.17</b>
	0; ;	<b>37.71</b>	<b>236.25</b>	<b>1,159.28</b>	<b>1,225.26</b>	<b>622.28</b>	<b>3,284.78</b>
	cpr	<b>1.70</b>	<b>651.06</b>	<b>672.97</b>	<b>951.28</b>	<b>98.38</b>	<b>1,875.39</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

उपरोक्त I kj.kh से यह इंगित होता है कि वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये कुल बजटीय धनराशि ₹ 5,160.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,875.39 करोड़ (36 प्रतिशत) निधियों का कम उपयोग किये जाने के कारण सरकार के लेखे में व्ययपगत हो गई, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है।

### 1.3.6 jktLo cdk; k

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 26,837.24 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जिसका विवरण I kj.kh 1-14 में दिया गया है।

#### I kj.kh 1-14% jktLo cdk; k

(₹ करोड़ में)

Ø0 I Ø	jktLo dk 'kh"l	31 ekpl 2015 dks dy cdk; k /kujkf' k	31 ekpl 2015 dks i kap o"l I s vf/kd vof/k I s cdk; k /kujkf' k	fVli .kh
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,347.13	11,462.56	बकाया राजस्व ₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 2,594.53 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों को ₹ 1,276.72 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण एवं शासन द्वारा ₹ 4,441.96 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 560.79 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 1,613.14 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 45.02 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स से बकाया थे। शेष ₹ 15,814.97 करोड़ के संबंध में विशेष कार्यवाही विभाग में लंबित थी।
2	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	202.77	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लंबित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3	वाहनों पर कर	136.82	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लंबित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म	77.52	51.15	निदेशालय के स्तर पर विभाग के पास बकाया का विवरण उपलब्ध नहीं था।
5	राज्य आबकारी	53.12	52.62	कुल ₹ 53.12 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। ₹ 53.12 करोड़ में से अन्य राज्यों को ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, ₹ 16.87 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 5.85 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी।

6	मनोरंजन कर	19.88	6.40	बकाया राजस्व ₹ 19.88 करोड़ में से, ₹ 9.98 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 8.65 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में माँग हेतु प्रमाणित किया गया था। शेष ₹ 1.35 करोड़ अपीलीय प्राधिकरण में लंबित थे।
; kx		26,837.24	11,572.73	

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

उपरोक्त I kj.kh यह इंगित करती है कि ₹ 11,572.73 करोड़ के राजस्व की वसूली पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी।

#### 1.4 iwthxr ikflr; kj

पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है। वर्ष 2010-15 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ I kj.kh 1-15 में दी गई है।

I kj.kh 1-15 iwthxr ikflr; ka dh idfrr; kj

j kT; dh iwthxr i kflr; ka ds l ks	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
iwthxr ikflr; kj	21,879	19,785	16,239	15,489	35,782
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	485	133	419	589	262
लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,394	19,652	15,820	14,900	35,520
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 5	(-) 8	(-) 19	(-) 6	138
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	66	(-) 73	215	41	(-)56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 4	(-) 10	(-) 18	(-) 5	131

₹ करोड़ में)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh वर्ष 2010-14 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के संग्रहण में घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है। यद्यपि, यह वर्ष 2013-14 के ₹ 15,489 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 35,782 करोड़ हो गई। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के ऋणात्मक पाँच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में ऋणात्मक छः प्रतिशत हो गयी। यद्यपि यह वर्ष 2013-14 के ₹ 14,900 करोड़ से बढ़कर (138 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 35,520 करोड़ हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2013-14 के ₹ 589 करोड़ से घटकर (56 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 262 करोड़ हो गई।

#### 1.4.1 . kka , oa vfxeka dh ol ify; kj

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियों की प्रतिशतता को I kj.kh 1-16 में दर्शाया गया है।

I kj.kh 1-16% \_\_.kka , oa vfxæka dk I forj.k@ol nyh

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
संवितरण	968	976	1,003	1,473	1,873
वसूलियाँ	485	133	419	589	262
संवितरण के सापेक्ष वसूली की प्रतिशतता	50	14	42	40	14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह प्रदर्शित है कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 50 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के मध्य रही, जो यह इंगित करता है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिमों की वसूली की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

#### 1.4.2 vkUrfjd I ksrka I s \_\_.k ikflr; kj

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों की धनराशि I kj.kh 1-17 में दर्शायी गई है।

I kj.kh 1-17% vkUrfjd I ksrka I s \_\_.k ikflr; kj

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बाजार ऋण	12,000	15,830	9,500	8,000	17,500
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,543	1,277	1,421	1,494	7,176

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2013–14 के ₹ 8,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 17,500 करोड़ हो गयी जो आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि की ओर संकेत करता है।

#### 1.4.3 Hkkjr I jdkj I siklr \_\_.k , oa vfxæ

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। भारत सरकार से वर्ष 2010–15 की अवधि में प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण I kj.kh 1-18 में दिया गया है।

I kj.kh 1-18% Hkkjr I jdkj I siklr \_\_.k , oa vfxæ

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	363	316	296	390	486
वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	28	(-)13	(-)6	32	25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से वर्ष 2010–13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यद्यपि, इसमें वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 32 प्रतिशत और वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

## 1.5 यकड यशुके वुओय

कुछ लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अधीन स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं। ये विधान मण्डल के मत पर आधारित नहीं होती है। इनके संबंध में शासन बैंकर का काम करता है एवं संवितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे (निवल) की स्थिति I kj.kh 1-19 में दी गई है।

I kj.kh 1-19% यकड यशुके वुओय धि fLFkr

₹ करोड़ में)

fofHkUu 'kh"kkā ds vlr xr l d k/ku	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
यकड यशुके वुओय	10,176	7,478	14,006	5,619	2,185
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	4,871	3,630	3,341	2,363	1,686
ख. आरक्षित निधि	2,339	5,487	4,386	7,954	(-) 2,694
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	1,842	-2,038	1,753	5,037	1,050
घ. उचंत एवं विविध	757	607	3,540	-9,637	535
ड. प्रेषण	367	-208	986	-98	1,608

वित्तीय आंकड़े लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण के निवल आंकड़े हैं। वर्ष 2010-13 के आंकड़े विगत वर्षों से भिन्न हो सकते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह प्रदर्शित है कि लोक लेखे (निवल) की प्रवृत्तियाँ दोलायमान है। यह वर्ष 2010-11 के ₹ 10,176 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 2,185 करोड़ हो गई।

## 1.6 I d k/kuka ds vuq z; ksx


राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय समेकन पथ, व्यय की कीमत पर, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास हेतु किए जा रहे व्यय पर, नहीं है।

### 1.6.1 0; ; ds I kVU , oa muea of) ; k;


कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है। अतः इसमें राज्य की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि (₹ 97,280 करोड़; 75 प्रतिशत) हुई जो वर्ष 2010-11 के ₹ 1,28,917 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2,26,197 करोड़ हो गई तथा वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय के साथ अनुपात 86 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत के मध्य रहा एवं वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान एक प्रतिशत की मामूली कमी हुई।

वर्ष 2010-15 की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को pkV 1-9 तथा कार्यकलाप-वार कुल व्यय को pkV 1-10 में प्रस्तुत किया गया है।



pkV 1-9 वर्ष 2010-15 की अवधि में कुल व्यय में इसके संघटकों सहित बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkV 1-10 वर्ष 2010-15 की अवधि में कार्यकलापवार व्यय में मामूली परिवर्तन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय 33 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 31 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के अंतर्गत 30 प्रतिशत है। शेष छः प्रतिशत में से सहायता अनुदान (पाँच प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम (एक प्रतिशत) के मध्य विभाजित है।

jktLo 0; ; में कुल वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 12,880 करोड़ (आठ प्रतिशत) थी जो वर्ष 2013-14 के ₹ 1,58,147 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,71,027 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान वृद्धि मुख्यतः ऋण (₹ 7,054 करोड़; 136 प्रतिशत) के अन्तर्गत संचार और वितरण हेतु अधिक व्यय के कारण, i f j o k j d y ; k . k (₹ 1,410 करोड़; 56 प्रतिशत) के

अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना और अन्य व्यय तथा (₹ 1,273 करोड़; 14 प्रतिशत) के अन्तर्गत वायरलेस और कम्प्यूटर पर व्यय, फॉरेंसिक विज्ञान और अन्य व्यय के कारण वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कमी का मुख्य कारण वृद्धि पर तुलना, वायरलेस, फॉरेंसिक विज्ञान, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना पर कम व्यय एवं (₹ 951 करोड़; 48 प्रतिशत) के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना पर कम व्यय होना था।

इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 में वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की थी जो वर्ष 2013-14 के ₹ 32,863 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 53,297 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः (₹ 3,719 करोड़; 291 प्रतिशत) के अन्तर्गत लोहिया ग्रामीण आवास योजना, आसरा योजना और ग्राम्य आवास पर केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सहायित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, (₹ 2,843 करोड़; 178 प्रतिशत) में ग्राम्य विकास क्रिया-कलाप कार्यक्रमों पर व्यय के कारण और (₹ 646 करोड़; 87 प्रतिशत) में माध्यमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय सहायित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का क्रय और निर्माण/विस्तार/अधिष्ठाण पर व्यय के कारण हुई। कमी मुख्यतः (₹ 349 करोड़; 37 प्रतिशत) के अन्तर्गत समाज कल्याण और अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय सहायित योजनाओं पर व्यय में कमी के कारण हुई।

## 1.6.2 राजस्व व्यय ;

वर्ष 2010-15 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ 1.6.20 में प्रस्तुत की गयी हैं।

1.6.20 राजस्व व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+)22,394
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
राजस्व व्यय की वृद्धि दर	20.48	15.05	13.59	12.38	8.14
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.30	18.01	18.28	17.76	17.52
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.20 इंगित करती है कि वर्ष 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। यद्यपि, यह वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप रही। यद्यपि, यह

वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप नहीं थी।

### 1.6.3 opuc) 0; ;

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 18,865 करोड़) वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 62,147 करोड़), पेंशन (₹ 22,305 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 7,661 करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय (₹ 1,10,978 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़) का 81 प्रतिशत इसमें उपभोग किया गया।

वर्ष 2010-15 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ I kj .kh 1-21 और pkVZ 1-11 में प्रस्तुत की गयी हैं।

I kj .kh 1.21: opuc) 0; ; ka ds ?kVdka dh i pfRr

(₹ करोड़ में)


opuc) 0; ; ka ds ?kVd	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					ctV vuøku	okLrfod 0; ;
oru* , oæetnjh ftl ea	40,159(36)	47,521(36)	52,755(36)	54,892(33)	72,244	62,147 (32)
आयोजनेत्तर शीर्ष	36,316	42,244	46,007	47,654	-	51,195
आयोजनागतशीर्ष**	3,843	5,277	6,748	7,238	-	10,952
C; kt Hkørkku	14,216(13)	15,481(12)	16,921(12)	17,412(10)	18,885	18,865(10)
iðku ij 0; ;	12,618(11)	14,127(11)	17,921(12)	19,521(12)	25,799	22,305(11)
l fcl Mh	4,437(4)	5,601(4)	5,964(4)	6,608 (4)	8,343	7,661(4)
opuc) 0; ; dk ; ksx	71,430(64)	82,730(63)	93,561(64)	98,433(59)	1,25,315	1,10,978(57)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये हैं।

\*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

\*\*आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



वचनबद्ध व्ययों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि इसके सभी मदों में वर्ष 2010-15 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2010-11 के ₹ 71,430 करोड़ से 55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,10,978 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत विभिन्न घटकों में वृद्धि/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

### orū , oa etnjh

I kj.kh 1-21 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनः आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत शीर्षों में वर्ष 2010-15 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 36,316 करोड़ से बढ़कर (41 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 51,195 करोड़ हो गया। यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 19,942 करोड़) से अधिक था। आयोजनागत शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 3,843 करोड़ से बढ़कर (185 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 10,952 करोड़ हो गया।

### i dku Hkqrku

वर्ष 2010-15 की अवधि में पेंशन पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2010-11 के ₹ 12,618 करोड़ से बढ़कर (77 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 22,305 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013-14 की तुलना में इसमें ₹ 2,784 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 22,305 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 13,932 करोड़) से अधिक (₹ 8,373 करोड़) था। पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी।

### C; kt Hkqrku

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2010-11 के 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 10 प्रतिशत हो गया। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 18,865 करोड़) बजट अनुमान (₹ 18,885 करोड़) से कम (₹ 20 करोड़) था। यद्यपि, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 18,865 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 19,543 करोड़) से भी कम (₹ 678 करोड़) था।

### I fcl Mh

वित्त लेखे (ijff'k"V II) दर्शाते हैं कि शासन ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 7,661 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान किए जो राजस्व प्राप्तियों का चार प्रतिशत थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 5,644 करोड़ (74 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद, ₹ 1,282 करोड़ (17 प्रतिशत) आयोजनागत मद एवं ₹ 735 करोड़ (नौ प्रतिशत) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं<sup>4</sup> के अंतर्गत संवितरित की गयी। प्रमुख कार्यकलापों जिन्हें सब्सिडी दी गई, उनमें ऊर्जा कार्यकलाप: ₹ 5,297 करोड़ (69 प्रतिशत); कृषि एवं अन्य संबद्ध कार्यकलाप: ₹ 1,924 करोड़ (25 प्रतिशत) तथा समाज कल्याण: ₹ 288 करोड़ (चार प्रतिशत) सम्मिलित थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तारों में दिए गए हैं।

<sup>4</sup>राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान  $\text{A} \text{t} \text{k} \{ \text{k} =$  के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 108 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में सब्सिडी का अधिकतम भुगतान आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत उ०प्र० विद्युत निगम लिमिटेड को ₹ 4,327 करोड़ क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप एवं ₹ 850 करोड़ भुगतानित विद्युत कर के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्युत दर में छूट के सापेक्ष क्षतिपूरक एवं पावरलूम बुनकरों के लिए ₹ 120 करोड़ की सब्सिडी का भी भुगतान किया गया था।

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान  $\text{d} \text{f} \text{k} \{ \text{k} =$  के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 724 करोड़ (60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ०प्र० विद्युत निगम को भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि विकास योजनाओं (₹ 164 करोड़), राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 160 करोड़), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (₹ 146 करोड़), गोल्डेन जुबली ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 124 करोड़) एवं सौर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की अवस्थापना अनुदान योजना हेतु ₹ 87 करोड़ सब्सिडी का भुगतान किया गया।

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान  $\text{l} \text{e} \text{k} \text{t} \text{d} \text{Y}; \text{k} \text{k} \{ \text{k} =$  के अंतर्गत सब्सिडी में ₹ 174 करोड़ (153 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि का भुगतान *स्वर्ण जयन्ती* ग्रामीण स्वरोजगार योजना (₹ 118 करोड़), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के लिये अनुदान (₹ 34 करोड़) एवं कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सीमान्त कृषकों को (निःशुल्क बोरिंग) सहायता हेतु ₹ 30 करोड़ का किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान के कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के विस्तृत विवरण  $\text{l} \text{k} \text{j} \text{.kh} 1-22$  में दिये गये हैं।

$\text{l} \text{k} \text{j} \text{.kh} 1-22\% \text{o} \text{'} \text{k} 2014 \& 15 \text{d} \text{h} \text{d} \text{N} \text{v} \text{i} \text{R}; \{ \text{k} \text{l} \text{f} \text{c} \text{l} \text{M} \text{h} \text{d} \text{k} \text{f} \text{o} \text{o} \text{j} \text{.k}$

₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	विभाग	₹ करोड़ में
1.	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	22.40
2.	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	26.38
3.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	43.50
4.	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.54
5.	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	11.90
<b>कुल</b>			<b>104.72</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2014-15)

अतः, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 104.72 करोड़ का भुगतान अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लिये किया गया।

### 1.7 0; ; $\text{k} \text{a} \text{d} \text{h} \text{x} \text{q} \text{k} \text{o} \text{R} \text{r} \text{k}$

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक

सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

### 1.7.1 व्यय का अनुपात; विकास व्यय का अनुपात

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम होगी। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण I.kj.kh 1-23 में प्रस्तुत किया गया है।

I.kj.kh 1-23% 2011-12 व 2014-15 का विकास व्यय का अनुपात; सामाजिक व्यय का अनुपात; पूंजीगत व्यय का अनुपात

वर्ष	कुल व्यय	सामाजिक व्यय	विकास व्यय	पूंजीगत व्यय	सामाजिक व्यय का अनुपात	विकास व्यय का अनुपात	पूंजीगत व्यय का अनुपात
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2011-12	15.98	65.39	36.63	28.76	13.23	17.10	4.68
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	21.29	59.34	35.91	23.21	14.73	17.96	4.58
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49 <sup>#</sup>	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	23.17	64.86	32.89	31.97	23.56	15.62	5.29

\* 18 सामान्य श्रेणी राज्यों के आंकड़ों के आधार पर।  
<sup>#</sup> गोवा एवं पुडुचेरी को छोड़कर 17 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर।  
 ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।  
 ^ विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों (जी.सी.एस.) की तुलना में राज्य के कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में अधिक था।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में विकास व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में सामाजिक क्षेत्र में किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम था।
- वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में आर्थिक क्षेत्र में किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।

- उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से वर्ष 2011-12 में थोड़ा अधिक लेकिन वर्ष 2014-15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था।

- राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय वर्ष 2011-12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम लेकिन वर्ष 2014-15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से थोड़ा अधिक था।

राज्य सरकार को विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय (शिक्षा पर व्यय सहित) पर और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

### 1-7-1-1 f o d k l , o a f o d k l & r j 0 ; ;

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2010-15 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर I k j . k h 1-24 में दी गयी है।

I k j . k h 1-24% f o d k l , o a f o d k l & r j 0 ; ;

₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027
पूंजीगत व्यय	20,273	21,574	23,834	32,863	53,297
ऋण एवं अग्रिम	968	976	1,003	1,473	1,873
<b>d y 0 ; ;</b>	<b>1,28,917</b>	<b>1,46,435</b>	<b>1,65,561</b>	<b>1,92,483</b>	<b>2,26,197</b>
<b>f o d k l 0 ; ;</b>	<b>75,019</b>	<b>86,897</b>	<b>97,904</b>	<b>1,17,209</b>	<b>1,46,705</b>
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6	16	13	20	25
<b>f o d k l &amp; r j 0 ; ;</b>	<b>53,898</b>	<b>59,538</b>	<b>67,657</b>	<b>75,274</b>	<b>79,492</b>
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20	10	14	11	6

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I k j . k h से इंगित होता है कि विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के 20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में छः प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2014-15 में विकास व्यय की वृद्धि दर में विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इससे यह इंगित होता है कि शासन द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई।

### 1-7-1-2 v k ; k s t u k x r , o a v k ; k s t u & r j j k t L o 0 ; ;

राज्य के कुल व्यय, राजस्व (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों सहित), पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय की वृद्धि दर, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर का विवरण I k j . k h 1-25 में दिया गया है।

I kj.kh 1-25% vk; kstukxr , oa vk; kstuRrj jktLo 0; ;

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
clj 0; ;	1,28,917	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197
राजस्व व्यय	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	171,027
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	86,636	1,01,269	1,14,846	1,26,490	1,37,765
आयोजनागत व्यय	21,040	22,616	25,878	31,657	33,262
पूँजीगत व्यय	20,273	21,574	23,834	32,863	53,297
ऋण एवं अग्रिम	968	976	1,003	1,473	1,873
कुल व्यय की वृद्धि दर	12	14	13	16	18
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	18	17	13	10	9
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	34	7	14	22	5

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से इंगित होता है कि वर्ष 2010-15 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर 12 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर भी पांच प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही। आयोजनेत्तर व्यय की वृद्धि दर में निरन्तर कमी हुई जो 18 प्रतिशत (वर्ष 2010-11) से घटकर वर्ष 2014-15 में नौ प्रतिशत हो गई।

### 1.7.2 0; ; ean{krk

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गये पूँजीगत व्यय एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण I kj.kh 1-26 में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात में 8.52 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

I kj.kh 1-26% p; fur I keftd , oa vkfFkd I okvka ij fd; s x; s 0; ; dh n{krk

I keftd@vkfFkd vol jpkuk	2013-14			2014-15		
	imthxr 0; ; dk clj 0; ; ea vuq kr	jktLo 0; ; (₹ djkm+e)		imthxr 0; ; dk clj 0; ; ea vuq kr	jktLo 0; ; (₹ djkm+e)	
		oru , oa etnjh	ifjpyu , oa vuq {k.k		oru , oa etnjh	ifjpyu , oa vuq {k.k
सामान्य शिक्षा	2.32	25,057	12	3.97	29,603	11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.15	5,372	98	15.87	5,794	106
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	50.44	93	53	75.33	96	131
; ksx % keftd I ok; %	9.91	31,783	181	17.14	36,883	271
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	10.10	2,011	31	19.78	2,396	41
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	38.31	2,373	1,101	43.35	2,491	1,541
शक्ति एवं ऊर्जा	55.85	26	00	47.04	22	00
परिवहन	74.86	84	2,351	81.88	04	2,023
; ksx % vkfFkd I ok; %	46.21	7,915	3,510	50.52	8,856	3,637
egk; ksx % keftd I ok; % vkfFkd I ok; %	25.08	39,698	3,691	33.60	45,739	3,908

(स्रोत: वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. ऑकड़े वर्ष 2013-14, 2014-15)

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 7.23 प्रतिशत की तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 4.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय से पूंजीगत व्यय के अनुपात में 24.89 प्रतिशत की वृद्धि जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी आवास विकास में हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 9.68 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में, 7.02 प्रतिशत परिवहन में तथा 5.04 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में वृद्धि हुई, यद्यपि शक्ति एवं ऊर्जा क्षेत्र में 8.81 प्रतिशत की कमी आयी।

कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹ 6,041 करोड़ की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं में 16 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक सेवाओं (₹ 5,100 करोड़) एवं आर्थिक क्षेत्र (₹ 941 करोड़) के मध्य विभाजित थी यद्यपि वर्ष 2013-14 की तुलना में परिवहन में ₹ 80 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में ₹ 90 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में ₹ 127 करोड़ की वृद्धि हुई यद्यपि वर्ष 2013-14 की तुलना में परिवहन में ₹ 328 करोड़ (14 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

## 1.8 'kkI dh; 0; ; ka , oa fuos' kka dk foRrh; fo' y's'k.k

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार-आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस अनुच्छेद में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूंजीगत व्ययों के वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

### 1.8.1 fl pkbZ fuekZ k dk; k ds foRrh; i fj .kke

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ (₹ 397 करोड़) उनके परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 5,009 करोड़ के व्यय का आठ प्रतिशत थी, जो वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान, 75 प्रतिशत, से बहुत कम थी, जो यह दर्शाता है कि परियोजनायें व्यवसायिक रूप से अव्यवहारिक थीं।

I kj .kh 1-27 में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय दिया गया है।

I kj.kh 1-27% rgjgoa foRr vk; ksx }kjk fu/kkFjr ekud ds I nhkZ ea ykxr ol wjh nj , oa vug {k.k 0; ;

o"KZ	jktLo 0; ;	jktLo ikflr; k;	jktLo 0; ; dh rgyuk ea jktLo ikflr; k;	rgjgoa %2010&15% foRr vk; ksx }kjk ykxr ol wjh dk eW; kadu	ykxr ol wjh ea vUrj
₹ djKM+ea			ifr'kr ea		
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39
2013-14	4,472	550	12	60	48
2014-15	5,009	397	8	75	67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि (2010–15) के दौरान लागत वसूली का अन्तर निरंतर 20 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य बढ़ रहा था, जबकि राजस्व व्यय में इसी समयावधि में निरंतर वृद्धि हुयी।

### 1.8.2 vi w kZ i f j ; k s t u k , a

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति I kj.kh 1-28 में दी गई है।

I kj.kh 1-28% 31 e k p Z 2 0 1 5 d k s f o h k k x o k j v i w k Z i f j ; k s t u k v k a d h f l F k f r

(₹ करोड़ में)

foHkkx	vi w kZ i f j ; k s t u k v k a d h l a ; k	i k j f e H k d c t V h ; y k x r	i f j ; k s t u k v k a d h i u j h f { k r y k x r	l p ; h o k L r f o d 0 ; ; % e k p Z 2 0 1 5 ½
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	521	6,339	1,011	3,396
सिंचाई	24	1,314	5,300	4,318
; ksx	545	7,653	6,311	7,714

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

अपूर्ण 545 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 7,714 करोड़ (मार्च 2015) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

### 1.8.3 fuo'sk , oa i fr Qy

31 मार्च 2015 तक शासन ने सांविधिक निगमों (₹ 596 करोड़), शासकीय कम्पनियों (₹ 57,021 करोड़), सहकारी संस्थाओं (₹ 928 करोड़) और बैंकों (₹ 61 करोड़) सहित कुल ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति I kj.kh 1-29 में दी गयी है।

## 1.8.3 1-29% fuos kka ij ifrQy

fuos k <sup>5</sup> @ifrQy@fy; s x; s m/kkj dh ykxr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	38,272.54	42,607.07	46,227.91	52,466.73	58,606.06
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	26.81	38.17	62.70	5.23	8.08
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.07	0.09	0.14	0.01	0.01
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.67	6.62	6.73	6.43	6.40
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (प्रतिशत)	6.60	6.53	6.59	6.42	6.39

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.8.3 1.8.3 से ज्ञात हुआ कि

- सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य रूप से ऐसे निगमों के अंश पूंजी में निवेश किया गया था, जो विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण आदि में लगे हुये थे।
- इन निवेशों का प्रतिफल मात्र 0.01 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान लिये गये उधार पर 6.40 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज भुगतान किया गया। अतः सरकारी निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा लिये गये उधार पर व्यय के सापेक्ष नगण्य था।

### 1.8.4 1.8.4 I kołtfud futh I k>nkjh ifj; kstuk, a

सार्वजनिक निजी साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ सरकार/सांविधिक इकाई/ शासकीय स्वामित्व वाली इकाई है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की इकाई। इस व्यवस्था में सार्वजनिक सम्पत्ति तथा/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के लिये प्रावधान होता है तथा निवेश एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रबंधन एक निश्चित समयावधि के लिये होता है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं शासकीय इकाई के मध्य जोखिम की शर्त पूर्ण रूप से परिभाषित होती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को भुगतान, कार्य निष्पादन (या बेंचमार्क) के आधार पर किया जाता है जिसका मानक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंड के अनुरूप होता है। निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित कार्यों का आकलन शासकीय इकाई अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2014-15 तक 102 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, ₹ 1,40,691.50 करोड़ की धनराशि से शुरू की गयी है। यद्यपि, राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबंधन के अन्तर्गत इसके वित्तीय उत्तरदायित्व को अगस्त 2015 तक सूचित नहीं किया।

### 1.8.5 1.8.5 jkT; I jdkj }kjk \_\_.k , oa vfxæ

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों को कई ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। Lkkj.kh 1-30 लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों की 31 मार्च 2015 तक की स्थिति और विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति की स्थिति प्रदर्शित करती है।

<sup>5</sup>वर्ष 2014-15 तक के निवेशों के आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2014-15 के विवरण संख्या-19 के भाग-1 एवं भाग-2 के मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेश, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान विवरण के भाग-1 में (₹ 52,450.71 करोड़) एवं भाग-2 में (₹ 58,606.06 करोड़) दर्शायी गयी निवेश की राशि में अन्तर ₹ 6,155.35 करोड़ का मिलान किया जा रहा है।



I kj.kh 1-30% jkT; I jdkj }kjk \_\_.kka vkj vfxæka ij vks r C; kt ikflr; k;

(₹ करोड़ में)

fooj .k	2012-13	2013-14	2014-15
ikj fHkd vo' kSk	10,988	11,572	12,456
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,003	1,473	1,873
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	419	589	262
vfre vo' kSk	11,572	12,456	14,067
अवशेष धनराशि जिसके लिये नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयीं			
निवल वृद्धि	(+)584	(+)884	(+)1,611
ब्याज प्राप्तियाँ	26	19	14
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	0.22	0.15	0.10
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयतायें	2,59,621	2,81,709	3,07,859
राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.52	6.18	6.13
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	6.30	6.03	6.03

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बकाया ऋणों में ₹ 1,611 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013-14 के ₹ 12,456 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 14,067 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण का मुख्य अंश जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 730 करोड़), उद्योग एवं खनिज (₹ 816 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों को ऋण हेतु (₹ 103 करोड़) दिए गए।

### 1.8.6 udn vo' kSk , oa udn vo' kSkka ds fuos' k

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 469.05 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। वर्ष 2014-15 के दौरान नकद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेषों के निवेश को I kj.kh 1-31 में दर्शाया गया है।

I kj.kh 1-31% udn vo' kSk , oa udn vo' kSkka ds fuos' k

(₹ करोड़ में)

fooj .k	1 vi by 2014 dks ikj fHkd vo' kSk	31 ekpl 2015 dks vfre vo' kSk
%v/ l kekl; jkcdM+ vo' kSk		
कोषागारों में नकद	#	00.00
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-)1,156.31	(-)1,009.27
मार्गस्थ प्रेषण	#	00.00
	; ksx	(-)1,156.31
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	5,164.46	595.35
	; ksx %v/	4,008.15
		(-)413.92
%C½ vU; jkcdM+ vo' kSk , oa fuos' k		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	12.05	12.17
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.43	0.43
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
	; ksx %C½	57.68
	egk; ksx %v/ %C½	4,065.83
		(-)356.12
# राशि ₹ एक लाख से कम है।		

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

वर्ष 2014-15 की समाप्ति, पर उद्दिष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ (₹ 401.32 करोड़ - ₹ 45.20 करोड़ = ₹ 356.12 करोड़ डेबिट शेष) की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 401.32 करोड़ (डेबिट) नकद अवशेष थे। नकद अवशेष में मार्च 2014 (₹ 4,021 करोड़) की तुलना में मार्च 2015 के अंत में ₹ 4,421.95 करोड़ की कमी हुई।



## 1.9 विविध निधियों का, आन्तरिक ऋण

### 1.9.1 विविध निधियों का, आन्तरिक ऋण, आन्तरिक ऋण

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत, राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। यद्यपि, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। *ijff'k"V 1-7* में 31 मार्च 2014 की स्थिति के सापेक्ष 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि, *ijff'k"V 1-7* में अंकित वित्तीय देयताओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक उधार भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

### 1.9.2 जितकर; नः रक; ऋण

राज्य की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति *ijff'k"V 1-7* में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटन को *pkVl 1-12* एवं *1-13* में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15)

*pkVl 1-12* एवं *1-13* इंगित करते हैं कि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर सरकार की राजकोषीय देयताओं<sup>6</sup> के घटकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ।

	(₹ द. क. म. ए.)	
वर्ग	1 वि. 2014 दस	31 ए. 2015 दस
आन्तरिक ऋण	1,56,208	1,83,191
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	15,336	14,462
लोक लेखे देयताएं	1,10,165	1,10,206
यि.र. जितकर; नः रक, ऋण	2,81,709	3,07,859

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के स्वयं संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताओं से उत्प्लावनता I kj.kh 1-32 में दी गयी है।

I kj.kh 1-32 jkt dks'kh; ns rk, &ewy ikpy

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.43	8.21	6.74	8.51	9.28
jkt dks'kh; ns rkvka dk vuq kr-%					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	38.20	35.36	33.73	31.64	31.53
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	202.17	185.86	177.94	167.47	159.16
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	429.91	387.56	365.31	339.28	327.14
jkt dks'kh; ns rkvka dh mRlykourk%					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.578	0.486	0.566	0.543	0.961
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.747	0.464	0.587	0.557	0.619
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	1.129	0.410	0.509	0.506	0.696

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें 37 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 के ₹ 2,24,785 करोड़ से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 3,07,859 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013-14 के 8.51 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में वृद्धि दर 9.28 प्रतिशत रही। यद्यपि, राजकोषीय देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 2010-15 की अवधि में कमी की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता 0.961 थी।

1.9.3 vkj f{kr fuf/k; ka ds vllrxr yunv

राज्य सरकार के लेखे में अनेक आरक्षित निधियां निहित हैं, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिये बनायी गयी हैं एवं राज्य या बाहरी अभिकरणों के संचित निधि के अनुदानों के अंशदान द्वारा रखी जाती हैं। वर्ष 2012-15 के लिये ऐसी निधियों जैसे निधियों के नाम, प्रारंभिक एवं अन्तिम अवशेष के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का वर्षवार विवरण ijf'k"V 1-8 में दिया गया है एवं I kj.kh 1-33 में सारांशीकृत किया गया है।

I kj.kh 1.33: o"kl 2012&15 dh vof/k ea vkj f{kr fuf/k; ka dh fLFkr

Ø0 l Ø	ys'kk 'kh"kl	vkj f{kr fuf/k; ka dh l a; k		1 vi by 2012 dks i kj fEHkd vo' ksk	i kflr; k; 2012&15	l forj.k 2012&15	31 ekpl 2015 dk vire vo' ksk
		ijpkfyr	vi jpkfyr				
C; kt l fgr vkj f{kr fuf/k; k;							
1.	8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	01	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
2.	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	126.69	00	126.69	शून्य

(₹ yk[k+ea)

C; kt jfgr vkjfk{kr fuf/k; k;							
1.	8222- सिकिंग फण्ड	01	शून्य	29,80,966.95	21,12,593.24	10,17,069.86	40,76,490.33
2.	8223- अकाल राहत निधियाँ	01	शून्य	853.50	00	931.51	-78.01
3.	8225- सड़कें एवं सेतु निधियाँ	01	शून्य	99,841.03	4,90,000.00	6,22,014.76	-32,173.73
4.	8226- मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	शून्य	4,909.77	1,022.00	1,901.80	4,029.97
5.	8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	04	02	42,970.55	4,71,951.35	4,70,929.13	43,992.77
6.	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	03	03	22,331.92	1,84,966.71	1,76,658.66	30,639.97
; kx		13	07	31,53,848.95	32,60,533.30	22,95,922.52	41,18,459.73
							vFkok ₹ 41,184.60 dj kM+

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह स्पष्ट है वर्ष 2012-15 की अवधि में 20 में से सात आरक्षित निधियां (₹ 41,184.60 करोड़ के अन्तिम अवशेष के साथ) परिचालित नहीं हुयी। मार्च 2015 के अंत में सात आरक्षित निधियों में ₹ 47.98 करोड़ का अन्तिम अवशेष (छः निधियों में क्रेडिट शेष) एवं ₹ 44.42 करोड़ (एक निधि में डेबिट शेष) था।

#### 1.9.4 vkdfLed ns; rk, &i R; kHkfr; ka dh fLFkfr

प्रत्याभूतियाँ, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी नियम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा निर्धारित करती हो। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं, जो प्रत्याभूतियों के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि भी स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु लिए गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों के मांग की परिस्थिति में किया जाना था।

वित्त लेखे के fooj.k&9 के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण I kj.kh 1-34 में दिया गया है।

#### I kj.kh 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त i R; kHkfr; k;

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	50,459	69,752	78,023
अवशेष प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित)	43,337	62,822	70,740
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	34.58	41.47	40.34

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि वर्ष 2012-13 के ₹ 50,459 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (55 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 78,023 करोड़ हो गयी। प्रत्याभूतियों की अवशेष धनराशियाँ (ब्याज सहित) भी वर्ष 2012-13 के ₹ 43,337 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (63 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 में ₹ 70,740 करोड़ हो गयी एवं अधिकतम वृद्धि ऊर्जा (₹ 4,500.74 करोड़, तीन संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 91.81 करोड़, 11 संस्थानों) के अन्तर्गत हुयी। वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी प्रत्याभूतियाँ भी 34.58 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 40.34 प्रतिशत हो गयी। 31 मार्च 2015 तक ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 27.46 करोड़, एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 67,530.86 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 1,953.01 करोड़, दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,228.30 करोड़, 14 संस्थानों) के सापेक्ष बकाया थी।

### 1.9.5 =fVi wKz i f r k a d u @ y s [ k k a d u d s d k j . k j k t L o v k f / k D ; , o a j k t d k s ' k h ; ? k k V s i j i H k k o

शासकीय लेखे में राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के प्रकरण थे। विवरण I kj . kh 1-35 में दिया गया है।

#### I kj . kh 1-35: y s [ k k a e a = f V i w K z o x h d j . k @ y s [ k k a d u d k j k t L o v k f / k D ; , o a j k t d k s ' k h ; ? k k V s i j i H k k o

j k t d k s ' k h ; ? k k V s i j i H k k o ( ₹ d j k M + e )		j k t L o v k f / k D ; i j i H k k o ( ₹ d j k M + e )		fooj . k
v f r ' k ; r k	U ; u r k	v f r ' k ; r k	U ; u r k	
-	-	47.75	14.49	शासकीय लेखांकन नियमों के अन्तर्गत 'वृहद निर्माण कार्य' पर व्यय को पूंजीगत अनुभाग में तथा 'लघु निर्माण कार्य' पर व्यय को राजस्व अनुभाग में लेखांकित किया जाना चाहिए। तथापि राज्य सरकार के द्वारा लघु निर्माण कार्य (₹ 47.75 करोड़) को विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में लेखांकित किया गया तथा धनराशि ₹ 14.49 करोड़ के वृहद निर्माण कार्य को राजस्व अनुभाग के अंतर्गत लेखांकित किया गया जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की न्यूनता रही।
-	-	806.09	-	वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार ने खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय -खाद्य (लेखा शीर्ष-4408-01) के अन्तर्गत ₹ 806.09 करोड़ (खाण्डसारी शक्कर योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 638.70 करोड़ की प्राप्ति को सकल व्यय में कमी को सम्मिलित करते हुए) की राशि को पुस्तांकित किया। इसमें विभाग के स्थापना पर व्यय ₹ 0.14 करोड़, खाद्यान्न की खरीद एवं आपूर्ति पर व्यय ₹ 1,025.64 करोड़ तथा खाद्यान्न खरीद एवं आपूर्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज ₹ 419 करोड़ की राशियां भी सम्मिलित थी। खाद्य शीर्ष (लेखा शीर्ष 4408-01) के अन्तर्गत मार्च, 2015 तक का प्रगामी पूंजीगत परिव्यय (निवल) ₹ 17,075.49 करोड़ { ₹ 8,050.85 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त के) तथा ₹ 9,024.64 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के पूर्व के) } था। इस प्रकार के व्यय प्रथमतः राजस्व प्रकृति के होते हैं। यद्यपि जहाँ पर पूंजीगत प्रकृति के घटक भी विद्यमान हों, सामान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार समस्त व्यय को प्रथमतः राजस्व व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए, तदुपरान्त पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित व्यय को पूंजीगत मद के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार के द्वारा समस्त व्यय ₹ 806.09 करोड़ को पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में अतिशयता रही।
-	98.71	98.71	-	वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के 31 मार्च 2005 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के "पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ" पर वर्ष के दौरान ₹ 22,304.61 करोड़ (अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,132.75 करोड़ को सम्मिलित

				करते हुए जो सकल राजस्व व्यय (₹ 1,71,027 करोड़) का 13.04 प्रतिशत था) का व्यय हुआ। 1 अप्रैल 2005 अथवा बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन योजना जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है, के योग्य हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है तथा समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/नियामक बैंक के माध्यम से निर्धारित निधि प्रबन्धक को अन्तरित कर दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशि एवं सरकार का समतुल्य अंशदान का आकलन सही रूप से नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 में कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹ 604.64 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 505.93 करोड़ का ही अंशदान किया गया तथा समस्त राशि ₹ 1,110.57 करोड़ को लेखा शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन अंशदायी योजना के अन्तर्गत जमा किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,052.10 करोड़ की राशि को एन0एस0डी0एल0/नियामक बैंक में अंतरित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2015 को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 553.83 करोड़ का अवशेष था। राज्य सरकार द्वारा ₹ 98.71 करोड़ (₹ 604.64 करोड़-₹ 553.93 करोड़) का कम अंशदान नई पेंशनर लाभदायी योजना के अंतर्गत किये जाने के कारण राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	4.81	4.81	-	राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि ₹ 64.16 करोड़ पर ब्याज देय था। यह राशि ₹ 4.81 करोड़ आंकी गयी (2014-15 के अर्धोपाय अग्रिमों के औसत ब्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) जिसे राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसी क्रम में वर्ष के लिये राजस्व आधिक्य की अतिशयता हुई। पूर्ववर्ती वर्षों से इन ब्याज वाली रक्षित निधियों के विरुद्ध बकाया ब्याज की राशि का आंकलन नहीं किया गया है, जबकि यह राज्य सरकार के सम्पूर्ण दायित्वों को प्रभावित करता है।
-	3,987.81	3,987.81	-	पुनर्भुगतानित धनराशि के समतुल्य राशि पुस्तक समायोजन के द्वारा लोक लेखे में सिंकिंग फण्ड के नामे तथा राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत 0075-विविध सामान्य सेवाएं सिंकिंग फण्ड से प्राप्ति को क्रेडिट (कॉन्ट्रा डेबिट), सिंकिंग फण्ड से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 3,987.81 करोड़ की अतिशयता हुई।
-	336.75	336.75	-	बारहवें वित्त आयोग की अनुसंसा के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन करना चाहिये था। मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹ 336.75 करोड़ (वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिभूति ₹ 67,350.54 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। अतः राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	14.32	14.32	-	वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत ₹ 190.89 करोड़ का अवशेष था। एस0डी0आर0एफ0 के मार्गनिर्देशों के अनुसार अनिवेशित अवशेष की राशि पर अर्धोपाय अग्रिम पर देय औसत ब्याज की दर से ब्याज की गणना की जानी थी। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 14.32 करोड़ ब्याज की राशि (वर्ष 2014-15 के लिए अर्धोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में ₹ 14.32 करोड़ की अतिशयता रही। यह तथ्य, कि राज्य सरकार द्वारा निधि का संचालन लगातार बिना ब्याज वाले आरक्षित निधियों के अन्तर्गत किया जा रहा है, राज्य सरकार के सम्पूर्ण कार्पस को प्रभावित करता है। पुनःश्च, निधि के अंतर्गत समस्त लेन देन का संचालन पुस्तक समायोजन के माध्यम से किया जाता है, अतः निधि के अन्तर्गत कोई वास्तविक रोकड़ अवशेष उपलब्ध नहीं है।
-	4,442.40	5,296.24	14.49	; kx
₹ 4,442.40 djkm+		₹ 5,296.24 djkm	- ₹ 14.49 djkm=	₹ 5,281.75 djkm

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

व्यय एवं प्राप्त शीर्षों के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभावस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 5,281.75 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 4,442.40 करोड़ की न्यूनता हुई।

### 1.10 1.10

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया जाये जो राज्य की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवदेन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2010-15) के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक I.kj.kh 1-36 से प्रदर्शित होता है।

I.kj.kh 1-36% 1.10

(₹ करोड़ में)

1.10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.10	23,413	23,134	10,282	17,695	(-4,465)
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	1,445	1,815	(-3,805)	(-4,442)	(-8,833)
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	8,915	3,051	(-463)	4,741	7,352
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	13	12	12	10	10
बकाया ऋण	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,88,487	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32

संसाधन अंतराल: वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के राजस्व प्राप्तियों एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर (-) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के कुल व्यय का अंतर

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात अधिक होगा जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

I.kj.kh से प्रदर्शित है कि वर्ष 2010-14 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग धनात्मक रहा जो लोक ऋण के संवहनीय स्तर को इंगित करता है। यद्यपि, प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा वर्ष 2014-15 में ऋणात्मक (₹ -4,465 करोड़) हो गया जो वर्ष 2014-15 के दौरान लोक ऋण की असंवहनीयता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 32 प्रतिशत था जो राज्य द्वारा ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संसाधन जुटाने के प्रयास की आवश्यकता को इंगित करता है।

### 1.10.1 fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

वर्ष 2010-15 की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक 1.05 प्रतिशत एवं 16.14 प्रतिशत के मध्य रही।

I kj.kh 1-37 में उधार लिये गये निधियों की प्राप्ति, पुनर्भुगतान एवं निवल उपलब्धता को दर्शाया गया है।

#### I kj.kh 1-37% fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	55,236	49,849	44,039	55,057	71,455
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	46,321	46,797	44,502	50,316	64,103
उपलब्ध निवल निधियाँ	8,915	3,051	(-463)	4,741	7,352
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्राप्तियों के प्रतिशत में)	16.14	6.12	(-1.05)	8.61	10.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj.kh से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियाँ, राज्य सरकार द्वारा किये गये ₹ 8,050.64 करोड़ के आन्तरिक ऋण भुगतान से, भारत सरकार के ऋण ₹ 1,360.57 करोड़ तथा ₹ 18,865 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35,893.10 करोड़ के अन्य दायित्वों के भुगतान से अधिक थी, परिणामस्वरूप लिये गये उधार की निधियों की उपलब्धता वर्ष 2013-14 के 8.61 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के अंत तक 10.29 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2010-15 की अवधि में ऋण उन्मोचन अनुपात की प्रवृत्तियाँ 84 प्रतिशत एवं 101 प्रतिशत के मध्य रही।

### 1.10.2 cktkj dtl dh ifjiDork ikQkby


राज्य के बकाया ऋणों का 40.49 प्रतिशत सात वर्ष अथवा अधिक की परिपक्वता अवधि से संबंधित है। I kj.kh 1-38 एवं pkVl 1-14 में राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल दी गयी है।

#### I kj.kh 1-38% jkT; ds \_\_.kka dh ifjiDork ikQkby

(₹ करोड़ में)

ifjiDork ikQkby	vkllrfjd __.k	dlnz l j d kj }kjk fn; k x; k __.k , oa vfxe	; ksx	ifr'kr
0 - 1 वर्ष	11,780	1,339	13,119	6.64
1 - 3 वर्ष	19,109	2,741	21,850	11.05
3 - 5 वर्ष	37,509	2,803	40,312	20.39
5 - 7 वर्ष	38,418	2,843	41,261	20.88
7 वर्ष और अधिक	75,289	4,736	80,025	40.49
राज्य सरकार से मिलान के अधीन	1,086	00	1,086	0.55
; ksx	<b>1,83,191</b>	<b>14,462</b>	<b>1,97,653</b>	<b>100</b>





(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)


pkV 1-14 से यह दर्शित होता है कि एक वर्ष एवं सात वर्षों और अधिक के ऋणों के पुनर्भुगतान एकत्र होकर पुनर्भुगतान के भार को विकट बनाता है।


### 1.11 jkt dks'kh; vlar'nyu

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचलों—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा—से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखे में प्राप्तियों और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः, जिस तरह से घाटे का वित्त-पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त-पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004/ वित्तीय वर्ष 2014-15 के नियमों के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

#### 1.11.1 ?kkVs dh çof'Uk; k;

pkV 1-15 और 1-16 में वर्ष 2010-15 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2014-15 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006-07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2014-15 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2014-15 के अंत तक राज्य के पास ₹ 22,394 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, परन्तु पुनः बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाते हुए वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में ₹ 32,513 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि (62 प्रतिशत) के कारण हुयी। वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 13,648 करोड़ था। यह वर्ष 2013-14 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 8,833 करोड़ की वृद्धि के कारण हुयी (पञ्चवर्षीय 1-15)।

### 1.11.2 पूंजीगत व्यय/जी.एस.डी.पी. का अनुपात, गैर-ऋण प्राप्तियों पर राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, ऋणों एवं अग्रिमों सहित, की अधिकता के कारण राज्य सरकार के कुल उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा है।

राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों पर राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, ऋणों एवं अग्रिमों सहित, की अधिकता के कारण राज्य सरकार के कुल उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक उधार लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तीय प्रवृत्ति को पञ्चवर्षीय 1-39 में प्रदर्शित किया गया है।

I kj.kh 1-39: jkt dks'kh; ?kkVk , oa bl ds foRrh; i dfrR ds ?kVd

₹ करोड़ में)

foj .k		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jkt dks'kh; ?kkVs dk fo?kVu						
jkt dks'kh; ?kkVk ¼ l s 3 rd½ , oa dks'Bd ea nh x; h l q; k l dy jkT; ?kjsymRi kn l s çfr'kr gA		17,248 (2.93)	15,433 (2.24)	19,238 (2.50)	23,680 (2.66)	32,513 (3.33)
1	राजस्व घाटा(+)/आधिव्य(-)	(-)3,508	(-) 6,984	(-)5,180	(-)10,067	(-)22,394
2	निवल पूंजीगत व्यय	20,273	21,574	23,834	32,863	53,297
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	483	843	584	884	1,610
jkt dks'kh; ?kkVs dh foRrh; çofÜk*						
1	बाजार कर्ज	10,074	12,834	6,263	5,054	13,513
2	भारत सरकार से ऋण	(-)937	(-) 999	(-)1,099	(-)1,075	(-) 875
3	एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	5,415	395	2,429	2,768	6,325
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)541	(-) 865	(-) 681	(-)12	7,146
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	4,871	3,630	3,342	2,363	1,686
6	निक्षेप एवं अग्रिम	1,843	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050
7	उचन्त एव विविध	757	608	3,540	(-)9,637	535
8	प्रेषण	367	(-) 209	986	(-)98	1,608
9	अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष एव निवेश)	(-)4,601	2,077	2,705	19,280	1,525
jkt dks'kh; ?kkVk		17,248	15,433	19,238	23,680	32,513

\*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 15,433 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 32,513 करोड़ (2014-15) के मध्य था। राजकोषीय घाटा, विगत वर्ष के ₹ 23,680 करोड़ से बढ़कर (37 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 32,513 करोड़ हो गया।

### 1.11.3 ?kkVs@vkf/kD; dh xqkoRrk

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में विघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग किया गया। अग्रेतर, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक उधार (राजकोषीय देयताएं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (I kj.kh 1-40) में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

I kj.kh 1-40: i kFkfed ?kkVk@vkf/kD; &?kVdka dk foHkktu

(₹ करोड़ में)

o"K	x\$&_.k i kflr; k;	i kFkfed jktLo 0; ;	i mthxr 0; ;	_.k , oa vfxæ	i kFkfed 0; ;	i kFkfed jktLo vkf/kD; %\$½	i kFkfed ?kkVk %&½@ vkf/kD; %\$½
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+)18,209	(-)3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+)22,520	(-)2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+)28,068	(-)6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+) 41,522	(-) 13,648

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

● वर्ष 2010-15 की अवधि में, गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 1,11,669 करोड़ से बढ़कर (73 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,93,684 करोड़ हो गयी।

● सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (वर्ष 2012-13) से वर्ष 2014-15 में ₹ 13,648 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की एक साथ पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

#### 1.11.4 jkT; dh foRrh; fLFkfr

विभिन्न प्राचल जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को निश्चित करने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इन प्राचलों के साथ-साथ इनकी वृद्धि दर की स्थिति I kj.kh 1-41 में दी गयी है।

I kj.kh 1-41: jkT; dh foRrh; fLFkfr

(₹ करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 17,248	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.93	(-) 2.24	(-)2.50	(-)2.66	(-) 3.33
राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8	13	25	23	37
राजकोषीय देयतायें	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
राजकोषीय देयतायें/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	8	7	9	9
राजकोषीय देयतायें/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	202	186	178	167	159

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.33 प्रतिशत रहा जो विगत पांच वर्षों में पहली बार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत अधिक रहा। राजकोषीय घाटे के वृद्धि की वार्षिक दर में भी वर्ष 2010-11 के केवल आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन को प्रदर्शित करती

है। राजकोषीय घाटे के उच्चतर स्तर के लिये उच्चतर राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अधिक आवंटन उत्तरदायी है। ₹ 32,513 करोड़ का राजकोषीय घाटा बाजार ऋण की वृद्धि एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि के द्वारा वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2010–15 के दौरान राजकोषीय देयताओं का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 202 प्रतिशत से 159 प्रतिशत तक कम हुआ जो उच्चतर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ऋण संवहनीयता के स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है।

### 1.12 fu"d"kl , oa l Lrfrr; kj

#### jkt dks'kh; fLFkfr dh l eh{k

● राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम तीन प्रतिशत के लक्ष्य से बढ़कर 3.33 प्रतिशत (0.33 प्रतिशत अधिक) रहा। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 3,07,859 करोड़) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 9,76,297 करोड़) से अनुपात बजट अनुमान के लक्ष्य (27.80 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य (41.90 प्रतिशत) से कम था।

#### rj goa foRr vk; ksx dh vuq kLkkvka ds vUrxr i klr vuqku

● तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत शासन ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 5,160.17 करोड़ प्राप्त किया। यद्यपि, ₹ 5,160.17 करोड़ में से ₹ 1,875.39 करोड़ (36 प्रतिशत) निधियों के कम उपयोग किये जाने के कारण सरकार के लेखे में व्यपगत हो गई, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है।

#### ctV vuqku , oa okLrfod vk dM;

● वर्ष 2014–15 में प्राप्तियों और व्यय का स्वरूप तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां और ₹ 1,71,027 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमान के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,26,419 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 1,97,425 करोड़) से कम था। ब्याज भुगतान और ऋण सेवायें (₹ 23,364 करोड़) बजट अनुमान (₹ 26,584 करोड़) से कम (₹ 3,220 करोड़) थीं।

संस्तुति: बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में भिन्नता को कम करने के लिए अनवरत निगरानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

#### jkTKLo i kflr; kj

● jkTKLo i kflr; ka में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) और केन्द्रीय करों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; छः प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत (वर्ष 2013–14 की

तुलना में) स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में की गई 17 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**jkTLo 0; ;**

- वर्ष 2014–15 के दौरान, 2013–14 के सापेक्ष राजस्व व्यय (₹ 1,71,027 करोड़) में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयोजनागत व्यय (₹ 33,262 करोड़) तथा आयोजनेत्तर व्यय (₹ 1,37,765 करोड़) में क्रमशः पांच प्रतिशत और नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि राज्य के सेवाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि को दर्शाता है।

**iwthxr 0; ;**

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत व्यय में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत और आयोजनेत्तर व्यय में विगत वर्ष के सापेक्ष क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 294 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संस्तुति: शासन को अनुत्पादक व्यय से बचना चाहिये साथ ही स्थिर और लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

**ykxd 0; ; dh i; krrk**

- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को बेहतर सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

**viwk i fj; kst uk; a**

- अपूर्ण 545 परियोजनाओं पर ₹ 7,714 करोड़ का व्यय हुआ (मार्च 2015) जिसका सार्थक लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

संस्तुति: अपूर्ण कार्यों पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है।

**jkT; dh foRrh; fLFkfr**

- राजकोषीय घाटे की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2010–11 के आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 37 प्रतिशत हो गयी जो बढ़ते राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। यद्यपि, राजस्व प्राप्ति के अनुपात में राजकोषीय देयताओं के घटने की प्रवृत्ति राज्य में ऋण संवहनीयता की स्थिति में सुधार को दर्शाता है।